दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आप.वि.वा. 3467/2019

निर्णय की तिथिः- 12.01.2022

निम्न मामले मेः-

टी. हरीश कुमार ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कैलाश वासुदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री नवनीत डूगर, अधिवक्ता।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हिरेन शर्मा, राज्य के अति.लो.अभि. सह उप.नि. हर्षवर्धन, थाना विवेक विहार।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी (मौखिक)

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने शिकायत वाद संख्या 1256/2019 से उत्पन्न थाना विवेक विहार, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 349/2018 और उसके बाद की कार्यवाही सहित आरोप-पत्र व विद्वान मुख्य महानगर दंडाधिकारी, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 20.03.2019 के आदेश, जिसके तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था, को रद्द करने की मांग की है।

2. याचिका में उल्लिखित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :-

(i) याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ, फ्लैट संपत्ति संख्या *ए-40, विवेक विहार, फेज़-II, द्वितीय तल, दिल्ली-110095* (इसके बाद *'फ्लैट'* के रूप में उल्लिखित) का संयुक्त मालिक है।

(ii) दिनांक 03.05.2018 के पंजीकृत किराया विलेख के माध्यम से, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने लीला एंबियंस दिल्ली कन्वेंशन होटल (इसके बाद *'होटल'* के रूप में उल्लिखित) को,

अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता *सुश्री पारुल जैन* के माध्यम से कार्य करते हुए, फ्लैट शुरू में 36 महीने की अवधि के लिए किराए पर दिया था। यह फ्लैट आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया था, अर्थात केवल होटल की महिला कर्मचारियों के निवास के लिए, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

(iii) उपरोक्त किराया विलेख के निष्पादन के बाद, होटल ने दिनांक 25.06.2018 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को 8 व्यक्तियों की एक सूची प्रदान की थी जो उनके कर्मचारी थे और फ्लैट में रहने वाले थे। सूची के साथ उन व्यक्तियों के विधिवत भरे हुए किरायेदार सत्यापन प्रपत्र भी सौंपे गए। किराया विलेख के निष्पादन पर, याचिकाकर्ता ने संबंधित थाने को उपरोक्त प्रपत्र अग्रेषित किए, जिन्हें दिनांक 29.06.2018 और दिनांक 02.07.2018 को वहां पर विधिवत प्राप्त किया गया था।

(iv) दिनांक 05.07.2018 को संपत्ति संख्या *ए-40, विवेक विहार, फेज-II, दिल्ली-110095* में अन्य तलों पर रहने वाले निवासियों

की ओर से इस आशय की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि फ्लैट में रहने वाले लोग देर रात तक आते थे और शिकायतकर्ताओं के लिए अशांति और सुरक्षा चिंताओं का कारण बनते थे, क्योंकि संपत्ति के मुख्य प्रवेश द्वार कभी-कभी देर रात तक खुले छोड़ दिए जाते थे।

(v) संपत्ति/भवन के अन्य निवासियों द्वारा प्रकट की गई चिंताओं से अवगत होने पर, याचिकाकर्ता ने तुरंत दिनांक 09.07.2018 को होटल को एक नोटिस भेजकर किराएदारी को समाप्त करने और फ्लैट का शांतिपूर्ण कब्जा उसे और उसकी पत्नी को वापस सौंपने के लिए कहा।

(vi) उपर्युक्त नोटिस के अनुसरण में, होटल द्वारा फ्लैट का खाली कब्जा दिनांक 10.08.2018 को याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया था। हालांकि बीच में, दिनांक 16.07.2018 को *हैड कांस्टेबल कपिल कुमार* की शिकायत पर वर्तमान प्राथमिकी यह आरोप लगाते हुए दर्ज की गई कि मौका मुआयना के दौरान *भदरी माया गुरांग* और *रिंचेन ल्हामो* नामक दो महिलाओं को फ्लैट का किरायेदार पाया गया, जिनके संबंध में दिनांक

11.12.2017 के आदेश संख्या 7308-7407/आर-एसीपी/विवेक विहार दिल्ली के संदर्भ में कोई पुलिस सत्यापन नहीं किया गया था।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासुदेव, किराया विलेख की सामग्री का उल्लेख करते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि फ्लैट को होटल को उसकी महिला कर्मचारियों के निवास के उद्देश्य से किराए पर दिया गया था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि किराया विलेख के अनुसरण में, होटल द्वारा 8 व्यक्तियों की सूची, उनके किरायेदार सत्यापन प्रपत्रों के साथ, याचिकाकर्ता को अग्रेषित की गई थी, जो दस्तावेज सत्यापन के लिए दिनांक 29.06.2018 और दिनांक 02.07.2018 को संबंधित थाने को विधिवत प्रस्तुत किए गए थे। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि फ्लैट के निवासियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, होटल के दिनांक 25.06.2018 के पत्र में नामित 8 व्यक्ति ही केवल फ्लैट में रह रहे थे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि संपत्ति/भवन के अन्य निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत

होने पर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.07.2018 के नोटिस द्वारा तुरंत किराएदारी को समाप्त कर दिया और फ्लैट का खाली कब्जा मांगा, जो दिनांक 10.08.2018 को सौप दिया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 16.07.2018 को, याचिकाकर्ता ने किराया विलेख, किरायेदार सत्यापन प्रपत्र के साथ-साथ दिनांक 09.07.2018 का नोटिस भी संबंधित थाना प्रभारी को दिया था। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि न तो पूर्वोक्त दोनों महिलाएं याचिकाकर्ता की किरायेदार थीं, न ही जैसा कि बताया गया है *कांस्टेबल संजीव कुमार* और/या *हेड कांस्टेबल कपिल कुमार* ने दिनांक 16.07.2018 को शाम 7:30 बजे उनसे मुलाकात की थी।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने याचिका का विरोध किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने आवश्यक पुलिस सत्यापन कराए बिना फ्लैट किराए पर दिया था, और इस प्रकार, उसने दिनांक 11.12.2017 के आदेश संख्या 7308-7407/आर-एसीपी/विवेक विहार दिल्ली का उल्लंघन किया था।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख, जिसकी पिछली तारीख पर मांग की गई थी, को भी पढ़ा है।

6. प्रश्नगत प्राथमिकी को सामान्य रूप से पढ़ने पर यह प्रदर्शित होगा कि यह *हेड कांस्टेबल कपिल कुमार* के दिनांक 16.07.2018 को शाम लगभग 7:30 बजे फ्लैट पर जाने के फलस्वरूप पंजीकृत हुई थी। प्राथमिकी में यह कहा गया था कि हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल संजीव कुमार के साथ, याचिकाकर्ता से मिले थे, जिसने कहा कि *भदरी माया गुरांग* और *रिनचेन ल्हामो* नामक दो महिलाएं उनकी किरायेदार थीं, जिनके संबंध में आवश्यक पुलिस सत्यापन नहीं किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता स्वयं संपत्ति सं. *89, किरण विहार, तृतीय तल, दिल्ली-110092* में रहता था और वह दिनांक 11.12.2017 के आदेश से अवगत था, लेकिन लालच के कारण सत्यापन नहीं करा सका, जिससे कथित आदेश का उल्लंघन हुआ।

7. पूर्वोक्त के आधार पर दिनांक 16.07.2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई और दो दिन बाद यानी दिनांक 18.07.2018 को बिना किसी जांच के आरोप-पत्र को अग्रेषित कर दिया गया।

8. जहां तक विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुतियों का संबंध है, कि किराया विलेख के संदर्भ में, यह होटल की जिम्मेदारी थी कि वह याचिकाकर्ता को अधिभोगियों की एक सूची के साथ उनके विधिवत भरे हुए किरायेदार सत्यापन प्रपत्र प्रदान करे, यह पाया गया है कि दिनांक 25.06.2018 के पत्र द्वारा 8 व्यक्तियों/अधिभोगियों की एक सूची, उनके किरायेदार सत्यापन प्रपत्रों के साथ, होटल द्वारा याचिकाकर्ता को भेजी गई थी। यह एक स्वीकृत मामला है कि उपरोक्त 8 किरायेदार सत्यापन प्रपत्र याचिकाकर्ता द्वारा सत्यापन के लिए दिनांक 29.06.2018 और दिनांक 02.07.2018 को संबंधित पुलिस थाने को विधिवत रूप से भेजे गए थे। इसके अलावा, प्राथमिकी में और *कांस्टेबल संजीव कुमार* के धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किया गए बयान में, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या उन 8 किरायेदार सत्यापन प्रपत्रों के संबंध में कोई सत्यापन किया

गया था। प्राथमिकी इस बारे में भी खामोश है कि किस आधार पर शिकायतकर्ता/*हैड कांस्टेबल कपिल कुमार* इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि *भदरी माया गुरांग* और *रिनचेन ल्हामो* नामक दो महिलाएं उस फ्लैट में किरायेदार थीं, जिनका दिनांक 11.12.2017 के आदेश के अनुसार किरायेदार सत्यापन नहीं किया गया था।

9. स्वीकृत रूप से, शिकायतकर्ता ने पहली बार दिनांक 16.07.2018 को फ्लैट का दौरा किया था, लेकिन न तो उसने यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री एकत्र की थी कि पूर्वोक्त दोनों महिलाएं याचिकाकर्ता की किराएदार थीं और न ही इस आशय से किसी अन्य अधिभोगी के बयान दर्ज किए थे। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में कहा कि किराए के अपने लालच के कारण, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त दोनों महिलाओं के संबंध में पुलिस सत्यापन नहीं कराया था।

10. किराया विलेख के पठन से पता चलता है कि फ्लैट के संबंध में मासिक किराया तय किया गया था और यह होटल पर निर्भर करता था कि वह फ्लैट में अपने महिला कर्मचारियों को

अधिभोगी के रूप में रखे। वास्तव में, याचिकाकर्ता उस संपत्ति/भवन का निवासी भी नहीं था जिसका फ्लैट एक हिस्सा है।

11. इसके अलावा, पूर्वोक्त दोनों महिलाओं से संबंधित कोई दस्तावेज, किसी आईडी कार्ड/आवासीय प्रमाण के रूप में, यह दिखाने के लिए कि वे फ्लैट में किराएदार थीं, अभिलेख पर नहीं है। न तो उपरोक्त दोनों महिलाओं के बयान दर्ज किए गए और न ही इमारत के किसी अन्य निवासी या सुरक्षा गार्ड का बयान दर्ज किया गया। फ्लैट में पूर्वोक्त महिलाओं की उपस्थिति मात्र, भले ही साबित हो जाए, किसी भी कल्पना से यह स्थापित करने का आधार नहीं बना सकती कि वे किरायेदार थीं। यह कहना पर्याप्त होगा कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र बिना उचित जांच के प्राथमिकी दर्ज किए जाने के दो दिनों के भीतर जल्दबाजी में दायर किया गया।

12. पूर्वोक्त के आधार पर, इस न्यायालय का विचार है कि इस आरोप का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि दोनों महिलाएं, *भदरी माया गुरांग* और *रिनचेन*

ल्हामो, उस फ्लैट में किरायेदार थीं जिनका पुलिस सत्यापन पूर्वोक्त आदेश के संदर्भ में नहीं किया गया था।

13. **1992 सप्लीमेंट्री (1) एससीसी 335** के रूप में प्रकाशित हरियाणा राज्य व अन्य बनाम भजन लाल व अन्य में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग को शासित करने वाले विधि सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामलों में आपराधिक अभियोजन को समाप्त करने के लिए ऐसी शक्ति का अवलंब लिया जा सकता है जहां "प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवादित आरोप और उसी के समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं"।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और यहाँ ऊपर उल्लिखित कानून की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि आरोपित अपराध के

घटक याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनते हैं। फलस्वरूप, याचिका को अनुमति प्रदान की जाती है और प्राथमिकी और अन्य सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द किया जाता है।

15. उपरोक्त निर्देशों के साथ, याचिका का निपटान किया जाता है।

16. इस आदेश की एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

12 जनवरी, 2022
एनए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*